मांग संख्या 36

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

शासकीय वाहनों के ईंधन हेतु राशि ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2041

मद क्रमांक 2

छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत सब्सिडी प्रदाय हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 500.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक डब्लू पी (सी) 534-2020 के परिपालन में आकस्मिकता निधि से ₹ 100.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

परिवहन विभाग के अंतर्गत अंतराज्यीय सीमा/प्रवर्तन में वाहनों के ओव्हरलोडिग की जॉच हेतु वे-ब्रिज की स्थापना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी मद में ₹ 31.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 5

मंत्रालय के शासकीय वाहनों हेतु ईंधन पर राशि ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 6

शासकीय वाहनों के अनुरक्षण हेतु राशि ₹150.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5055

मद क्रमांक 7

परिवहन विभाग के अंतर्गत अंतराज्यीय सीमा/प्रवर्तन में वाहनों के ओव्हरलोडिग की जॉच हेतु वे-ब्रिज की स्थापना हेतु मशीन उपकरण मद में ₹ 603.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,03,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।